

उत्तर प्रदेश शासन

पिबिताया विभाग अनुभाग-3

क्रमांक - 111 / 808/1999-3-99-सं. 3/98

दिनांक : 11 फरवरी, 1999

आवश्यकता/अनादरिता प्रमाण-पत्र

संस्था द्वारा बनाए रखी जा रही सड़कें/बिना संकेतों के सड़कें

द्वारा जनसमुदाय में निजी क्षेत्र में

डेन्टल कालेज डॉलने हेतु प्राप्त आवेदन पर तत्काल विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त संस्था को जनसमुदाय में नया डेन्टल कालेज खोलने हेतु आवश्यकता/अनादरिता प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किये जाने के आदेश देते हैं :-

- 111 संस्था को डेन्टल कालेज खोलने की अनुमति तभी होगी, जब भारत सरकार द्वारा डेन्टल कॉलेज आफ इन्डिया की संरचना पर उनके पास में इस आदेश का रजिस्ट्रार आदेश हो।
- 121 संस्था द्वारा शासन, विश्वविद्यालय और डेन्टल कॉलेज आफ इन्डिया द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का पालन किया जायेगा।
- 131 प्रत्येक डेन्टल कालेज में छात्रों की नियमित संख्या का 50 प्रतिशत सीटें श्री गीता कहलायेगी पर शेष 50 प्रतिशत सीटें फेमेंट्री सीटें होंगी। इन सीटों पर कुल सीटों का 15 प्रतिशत सीटें ज्ञान की भारतीयों हेतु सुरक्षित होगी जिन पर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जायेगा। शेष 35 प्रतिशत सीटों पर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये सामुदायिक सेवा द्वारा योग्यता के आधार पर किया जायेगा। दोनों प्रकार की फेमेंट्री एवं श्री गीता सीटों के लिए अहंता समान होगी तथा छात्रकीय नीति के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षण अनुपाल्य होगा।
- 141 कितनी विश्वविद्यालय द्वारा 2000/2000/2000 सीट को छोड़कर प्रदेश के लिए निजी रूप से आवेदन पर प्राप्त नहीं किया जायेगा।

Rupz

15। तैर्या द्वारा छात्रों से शास्त्र द्वारा निर्धारित क्षीत से अतिरिक्त क्षीत ही लिये जाने का बान्ड पत्र उपलब्ध कराना गया है। तथा इन सम्बन्ध में प्रत्येक विद्यालय की प्रबन्ध समिति अपने द्वारा ली जाने वाली क्षीत की सूचना स्वयं प्राधिकारी को शिवा तत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही सूचित करेंगे।


16। अनामिका प्रमान-यम निर्गत होने की तिथि से यदि अधिकतम दो वर्ष की अवधि में डेन्ल कासेज की लक्षणा नहीं की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामिका लपतः निरस्त हो जायेगी।

शेडर अस्पताल,
तचिय,
चिकित्सा शिक्षा।

क्रिया - 111/इच्छतर-3-79-रूदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित तैर्या।
2. तचिय डेन्ल कॉरिल आरु इण्डिया, रेबान-र-गालिय मार्ग, बोला रोड, नई दिल्ली।
3. तचिय, त्वात्थद एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निगमि भवन, नई दिल्ली।
4. तचिय, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. चिकित्सा अनुभाग-।
7. चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
8. शोध कार्यालय।

आज्ञा है,

आर.के. वाजपेयी
उप तचिय।